



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के अभियोग में अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹5000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवार में पंजीकृत मु०अ०सं०-137/2023 धारा-498ए,304बी भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एफटीसी प्रथम/ जीएसटी कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शिवपूजन पाल पुत्र रामसेवक पाल निवासी पाटनपुर, थाना बिवार जनपद हमीरपुर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
डीजीसी राजेश कुमार
शुक्ला



विवेचक-
सीओ विवेक यादव



पैरोकार- थाना बिवार
का० श्रीकान्त राजपूत